संख्या-23/2025/001/118/25-27-सिं-9-48एसएवी/09टीसी

प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद ललितपुर में कचनौधा बांध के अवशेष कार्यों की पुनरीक्षित परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1586/104/परि0/कैम्प/बजट, दिनांक 16.12.2024 एवं शासनादेश संख्या-18/2023/1753/22-27-सिं-9-48एसएवी/09टीसी, दिनांक 17.01.2023 एवं शासनादेश संख्या-22/2023/122/23-27-सिं-9-48एसएवी/09टीसी, दिनांक 25.01.2023 एवं शासनादेश संख्या-130/2023/001/920/23-27-सिं-9-48एसएवी/09टीसी, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-228/2024/001/745/24-27-सिं-9-48एसएवी/09टीसी, दिनांक 08.06.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ललितपुर में कचनौधा बांध के अवशेष कार्यों की पुनरीक्षित परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 59446.63 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक 4700-24-051-10-15-24 निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 800.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 5,69,37,000.00 (रूपये पांच करोड़ उनहत्तर लाख सैंतीस हजार मात्र) परियोजना के कार्यों पर व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(2) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निगर्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

(7) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएल/डिपाजिट खाते में न रखें जायें।

(8) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) प्रायोजनान्तर्गत पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

(10) प्रायोजना में भूमि अध्यासि का प्राविधान किया गया है। अतः विभाग द्वारा भूमि अध्यासि सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

(12) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत /आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(13) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(14) उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(15) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 5,69,37,000 (रूपये पांच करोड़ उनहत्तर लाख सैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-**94-**लेखा शीर्षक-**470024051101514 सम्ब कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कुलदीप श्रीवास्तव

विशेष सचिव।

संख्या एंव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

(2) महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।

(4) प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

(6) मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी ।

(7) मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(8) अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।

(10) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

वी0एन0 तिवारी

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in